बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

श्री रामाशीष सिंह यादव (काराधीन) निलंबित आशुटंकक, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, पटना के विरुद्ध सरकारी सेवा में रहते हुए बिना सरकार के अनुमति के शिक्षा व्यवसाय में बराबर के भागीदार बनने, निजी विद्यालय का संस्थापक बनने, अनैतिक रुप से धनार्जन करने तथा अन्य कतिपय आरोपों के लिए निगरानी थाना कांड संख्या– 25/2006 में प्राथमिकी दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्त बनाया गया।

2. श्री यादव के विरुद्ध समर्पित साक्ष्यों एवं मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से प्रतिवेदित आरोप की गंभीरता को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–250 दिनांक 13.02.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु नियुक्त जॉच पदाधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरुप आदेश ज्ञापांक 3185 दिनांक 23.11.2009 को पुनः जॉच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संदर्भित आदेश से नियुक्त जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विषयगत मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के न्यायालय से आच्छादित है। इस कारण अधिगम दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके उपरान्त पुनः इस मामले की जॉच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 2971 दिनांक 12.02.2011 द्वारा श्री काली बैठा तत्कालीन अवर सचिव को जॉच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री बैठा द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया गया कि मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के न्यायालय के अधीन होने की स्थिति में कोई स्पष्ट मंतन्य नहीं दिया गया।

3. उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 379 दिनांक 10.02.2014 द्वारा पुनः विभागीय जॉच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया कि श्री यादव के विरुद्ध लगाए गए आरोप पर बिना पुलिस के अनुसंधान का मंतव्य देना संभव नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विषयगत मामले के समीक्षा में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों कों संज्ञान में नहीं लिया गया है। अतएव, विभागीय आदेश ज्ञापांक 657 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा संचालन पदाधिकारी को आरक्षी अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के साक्ष्यों का स्पष्ट रुप से उल्लेख करते हुए पुनः एक बार वर्णित बिन्दुओं की गहराई से जॉच कर स्पष्ट एवं युक्तिसंगत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये प्रतिवेदन से भिन्न प्रतिवेदन दिये जाने की गुंजाईश नहीं है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूरे मामले की सम्यक् समीक्षा मे यह स्पष्ट हुआ कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में उल्लिखित आरोप एवं संलग्न साक्ष्य के आधार पर आरोपित कर्मी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होता है। अतः जॉच पदाधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए आरोपित कर्मी से द्वितीय कारण–पृच्छा की गई।

5. आरोपित कर्मी द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा में लगाए गए आरोप के बचाव हेतु बार–बार अतिरिक्त समय की मांगी की गयी एवं अपने बचाव में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार को विनिश्चय हुआ कि आरोपित कर्मी द्वारा अपने द्वितीय कारण–पृच्छा में अपने बचाव में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हुए मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जॉच संचालन से प्राप्त प्रतिवेदन, आरोपित कर्मी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा एवं आरोपित कर्मी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप की गहन एवं सुक्ष्मतापूर्वक समीक्षा की गयी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त आरोपित कर्मी के विरुद्ध प्राप्त आरोप का साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में चल अचल सम्पत्ति के आय से अधिक सम्पत्ति का विनिवेश, शैक्षणिक व्यवसाय में धन लगाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ। इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के कंडिकार समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया है, जिसमें निम्न तथ्य उभर कर सामने आया।

(i) श्री यादव के विरुद्ध बिना विभागीय पूर्वानुमति एवं जानकारी के विभिन्न चल सम्पत्ति लगभग नब्बे हजार छः सौ रुपया का निवेश एवं अपनी पत्नी के द्वारा भूमि क्रय में 50 हजार रुपये का सहायता किया गया है जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियम–1976 के नियम–19 के निहित प्रावधान के विरुद्ध कृत्य किया गया है। इस प्रकार इनके विरुद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया है।

(ii) श्री यादव के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक आचरण नियम–1976 के नियम 17 के प्रावधान के विरुद्ध निजी विद्यालय ए॰भी॰एन॰ विद्यालय के संस्थापक के रुप में अपनी पत्नी के साथ लाभ के बराबर के हिस्सेदारी से संबंधित आरोप भी प्रमाणित पाया गया।

(iii) श्री यादव के विरुद्ध बैंक से 75 लाख रुपया का बैंक ऋण लेने हेतु बिना विभाग के पूर्वानुमति का आवेदित किया गया। जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियम–1976 के नियम–17 के प्रावधान के विरुद्ध कृत्य किया गया है। इस प्रकार इनके विरुद्ध यह भी आरोप प्रमाणित है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री यादव के विरुद्ध सरकारी सेवा में रहते हुए बिना सरकार के अनुमति के शिक्षा व्यवसाय में बराबर के भागीदार बनने, निजी विद्यालय का संस्थापक बनने, अनैतिक रुप से धनार्जन करने का आरोप प्रमाणित है।

7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामाशीष सिंह यादव (काराधीन) निलंबित आशुटंकक, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 में संगत प्रावधानों के अन्तर्गत सेवा से **बर्खास्तगी** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

ह0/–

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक –वि०प्रा०(I) आ०–03/2016 पटना, दिनांक :
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) आ०–03/2016 पटना, दिनांक :
प्रतिलिपि : श्री रामाशीष सिंह यादव (काराधीन) निलंबित आशुटंकक, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना/ अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) आ०–03/2016 2772 पटना, दिनांक : 23.11.2017
प्रतिलिपि : सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/ परियोजना निदेशक, बी.सी.एस..टी., पटना/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/ सभी विभागीय पदाधिकारी /प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक के निजी सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.11.17

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

23/11/17